बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
!! निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ !!
आदेश

ज्ञापांकः–6 / एन0–01–06 / 2025–.............. दिनांक– / / 2025

बिहार परिचारिका संवर्ग में कार्यबल की भारी संख्या एवं अधिकता को ध्यान में रखते हुए कार्य की सुगमता एवं त्वरित निष्पादन हेतु बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली–2024, के नियम–17 के तहत बिहार परिचारिका संवर्ग के कर्मियों के सेवान्त लाभ, ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 एवं 60 दिनों तक की अवधि के सभी प्रकार के अवकाश की स्वीकृति हेतु संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी / चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक / अतिविशिष्ट अस्पताल के निदेशक को शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

2– उक्त निमित राज्य सरकार द्वारा स्थापित सभी नियमों / प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

3–सेवान्त लाभों के भुगतान एवं ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 की देयता पर विचारण के पूर्व संबंधित कर्मियो का विभाग से स्वच्छता प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।

ह0 / –
(डॉ0 बिपिन कुमार सिंह),
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग),
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–6 / एन0–01–06 / 2025,....165(6)........... / पटना,दिनांकः–.....11..... / ..02... / 2025

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार / सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार / सभी निदेशक, अतिविशिष्ट अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग),
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।